सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 19, गुरूवार, *शाके* 1946-मई 09, 2024 *Vaisakha 19, Thursday , Saka 1946- May 09, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अप्रेल 03, 2024

संख्या प. 2 (17)वन/2024 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है:-

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन-अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है:

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है:

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 26 की उप-धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,14,17,18,19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसारण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाषित होने की तारीख से आरक्षित किए जाते है और पूर्वोक्त तारीख

में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु-पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.स.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशाबार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा न.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि किस्म
1.	पडूणा 'बी'	गिर्वा	उदयपुर	उत्तर	बिलानाम	पडूणा	9619/4473	4.428 हैक्टर	पहाड
				दक्षिण	वनखण्ड पडूणा				
				पूर्व	वनखण्ड जाबला ए				
				पश्चिम	खातेदार				
योग								4.428 हेक्टर	

सचिन शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
परसाद उदयपुर।

सुगना राम जाट I.F.S.,
उप वन संरक्षक,
उदयपुर ।

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

वनखण्ड - पड़ूणा 'बी'

क्र.सं.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Butea monosperma (Lamk.) Taub	खाखरा
2	Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br.	खिरनी
3	Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch	चुरैल
4	Tectona grandis L. f. Suppl	सागवान
5	Boswellia serrata	सालर

सचिन शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
परसाद उदयपुर।

सुगना राम जाट I.F.S.,
उप वन संरक्षक,
उदयपुर ।

प्रमाण पत्र

वन खण्ड - पड़ूणा बी

रेंज - परसाद

वन मण्डल - उप वन संरक्षक, उदयपुर

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा 132 के.वी. विद्युत लाईन ऋषभदेव से जावर माईन्स से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले में प्राप्त हुई गैर वन भूमि है। कुल प्रभावित 4.4280 हैक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम पड़ूणा तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी नम्बर 4473 रकबा 19.00 है. किस्म पहाड़ में से आराजी नम्बर 9619/4473 रकबा 4.428 हैक्टेयर कुल कित्ता 01 रकबा 4.428 है. वर्गीकरण मगरी व पहाड क्रमशः बिलानाम है, जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षैत्रों में विकास कार्य कराना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन् कार्य नहीं हो रहा है। क्षैत्र को आरक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. इस क्षैत्र में पौधारोपण/विकास कार्य करवाया गया है तथा कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में इस क्षैत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/ विकास कार्य कराए जाना प्रस्तावित है।
4. भूमि पर वृक्षों की घनत्व कुछ क्षैत्रों में 0.2 प्रतिशत है। तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों झाडियों का लगभग 0.2 प्रतिशत क्रमशः है तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षैत्र वनखण्ड पड़ूणा भूमि है तथा चारों ओर की सीमा का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वन खण्डों के वाछिंत मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमा स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र को जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब तक उल्लेखित वन क्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्व हो सकें।
8. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

सचिन शर्मा,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
परसाद उदयपुर।

सुगना राम जाट I.F.S.**,**
उप वन संरक्षक,
उदयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।